# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/


क्रमांक–61/रेरा/2021/1531 रायपुर, दिनाँक 28/07/2021

//परिपत्र//

**विषय :– अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक की अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने की अवधि में विस्तार के संबंध में।**

**संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, रायपुर दिनाँक 28/09/2018।**

––00––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 सहपठित धारा–4, 5 व 11 अंतर्गत छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। तत्संबंध में अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक की अवधि हेतु बिना किसी विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2021 है। परन्तु अप्रैल तथा मई में कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थिति रही है। इसी कारण प्राधिकरण द्वारा परिपत्र क्रमांक–57, दिनाँक 29.06.2021 के माध्यम से जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन की अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुये अंतिम दिनाँक 31 जुलाई, 2021 निर्धारित की गई है। चूँकि उपरोक्त दिनाँक तक जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 की तिमाही का अपडेशन किया जाना है। इसलिये अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के अद्यतन करने की तिथि में विस्तार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्राधिकरण द्वारा अप्रैल से जून, 2021 तक की तिमाही हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अवधि में विस्तार करते हुये भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 अंतर्गत निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

2. अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु तिथि 31 जुलाई, 2021 में 1 माह का विस्तार करते हुये बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2021 निर्धारित की जाती है। उक्त दिनाँक पश्चात् त्रैमासिक अद्यतन किये जाने की स्थिति में विलंब शुल्क यथावत देय होगा।

**(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)**

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.